न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024/385
मुकदमा नम्बर 139/2024 दर्ज दिनांक– 29.08.2024

सुनिता देवी पुत्री स्व. घडसीराम पत्नी सुभाष निवासी देवगांव (गोठडा), तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री संदीप सिंह पूनियां
अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 22.05.2025**

प्रार्थी द्वारा स्वंय उपस्थित हो एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठडा के खसरा नं. 236,237 कुल किता 2 कुल रकबा 1.10 है0 के राजस्व रिकार्ड में आवेदिका के हक हिस्से की खातेदारी में आवेदिका का नाम छोटी पुत्री घडसीराम की जगह सुनिता देवी पुत्री घड़सीराम दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अनावेदक की जारी की गई। तहसीलदार नवलगढ की और से पैरो. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/6649 दिनांक 11.03.2025 पेश की गई।

बहस उभय पक्ष पेश होने पर बगोर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट, तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व प्रा. पत्र के अंकित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठडा के खसरा नं. 236,237 कुल किता 2 कुल रकबा 1.10 है0 के राजस्व रिकार्ड में आवेदिका के हक हिस्से की खातेदारी में आवेदिका का नाम छोटी पुत्री घडसीराम की जगह सुनिता देवी पुत्री घड़सीराम दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू